Inadequate Allocation of sugar to Maharashtra

6792. SHRI V. N. GADGIL: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Maharashtra is unable to distribute 415 Grams per head Sugar through Public Distribution System as a result of inadequate allocation of sugar to Maharashtra by the Central Government;

(b) whether the present allocation of 29938 MT of levy sugar for the distribution under Public Distribution System is based on the old projected population of 1986;

(c) whether even this quantity of 29938 MTs is not fully received every month, causing great distress to poor people;

(d) whether some sugar factories refused to release levy sugar as per the orders of Government on the pretext that they have not stock of levy sugar and they are exempted from supply of levy sugar for various reasons;

(e) whether any action is taken against defaulting sugar factories;

(f) whether the Government of Maharashtra has requested for increase of allocation of levy sugar for the state to 35987 MTs; and

(g) whether the Central Government has agreed to increase the said allotment and if not what are the reasons for the same?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) Under the present policy of partial control, the monthly allocations of levy sugar to most of the States/UTs are being made on uniform norms of ensuring 425 gms. per capita availability for the projected population as on 1.10.1986. These norms are effective from 1.2.1987. On this basis, the monthly levy allocation of Maharashtra State at present is 29938 M.T.

(c) The lifting/distribution of levy sugar allocated by the Central Government to the State of Maharashtra is the responsibility of the State Government and their nominees.

(d) and (e) In case the contention of a sugar factory is found correct due to its eligibility under any incentive scheme or adjustment in balance sheet account, etc. the allocation of levy sugar from that factory is cancelled and an equivalent quantity is re-allocated from some other sugar factory.

(f) and (g) No demand for increasing the levy sugar quota of Maharashtra has been received from the State Government of Maharashtra recently.

गेहूं और खाद्य तेलों के आयात हेतु नीति

6793. **श्री ज्ञानेश्वर मिश्र:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं तथा खाद्य तेलों के आयात के लिए कोई सुस्पष्ट नीति अपनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस नीति को कब तक लागू किया जाएगा; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह): (क) से (ग) सरकार केन्द्रीय पूल में गेहूं सहित खाद्यान्नों के स्टाक की समीक्षा करती रहती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने, बफर स्टाक बनाने और खुले बाजार मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये यदि आवश्यक होता है, तो

गेहूं के आयात का सहारा लिया जाता है। उत्पादन, स्टाक स्थिति, वसूली की प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता, खुले बाजार मूल्यों आदि को ध्यान में रखते हुए गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया जाता है। केन्द्रीय पूल में गेहूं की सुगम स्टाक स्थिति की दृष्टि में, इस समय गेहूं का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कुल आवश्यकता और सभी घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता के बीच लगभग पांच से छः लाख मीटरी टन के अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा खाद्य तेलों का आयात किया जाता है। इस संबंध, राज्य व्यापार निगम को 20% की रियायती दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आर०बी०डी० पामोलिन का आयात करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को 20 प्रतिशत की रियायती दर पर चयन किए गए खाद्य तेलों का आयात करने की भी अनुमति दी गई है। खाद्य वनस्पति पामोलीन तेल के आयात को 20-4-1995 से 65 प्रतिशत ड्यूटी पर खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया था। तथापि, खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन खाद्य तेल का आयात अधिक आयात डियूटी के तत्व के कारण उस सीमा तक नहीं किया गया जितनी सरकार द्वारा प्रत्याशा की गई थी। खाद्य तेल के आयात को सुविधाजनक और मितव्ययी बनाने के लिए नारियल के तेल, पाम करनल तेल, आर.बी.डी. पाम तेल और आर.बी.डी. पाम स्टेयरिन को छोड़कर सभी खाद्य तेलों को 1-3-95 से 30 प्रतिशत की घटी हुई ड्यूटी पर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा गया था। 1995-96 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पामोलीन की 1.5 लाख मीटरी टन मात्रा का आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम को प्राधिकृत किया गया है।

केन्द्रीय खाद्यान्न पूल में उत्तर प्रदेश द्वारा खाद्यान्नों का योगदान

6794. **प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा:**

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय खाद्यान्न पूल में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान रहा; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उस राज्य को आबंटित किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह):

(क) पिछले तीन विपणन मौसमों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए उत्तर प्रदेश में वसूल की गई गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है:—

(लाख मीटरी टन में)

रबी विपणन मौसम (अप्रैल से मार्च)	गेहूं
1992-93	4.97
1993-94	21.28
1994-95	14.06
1995-96	5.39
	(17.5.1995 को स्थिति के अनुसार)

खरीफ विपणन मौसम (अक्तूबर से सितम्बर)	चावल
1992-93	11.86
1993-94	12.95
1994-95	6.53
	(15.5.1995 को स्थिति के अनुसार)
1995-96	अभी शुरू नहीं हुआ है